बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०—17/विविध—01—202/2025— पटना, दिनांक :— / / 2026

डॉ0 श्वेता गौतम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड—BHS), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदन, बांका को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या—9889, दिनांक—01.12.2015 के आलोक में दिनाक—14.10.2025 से 22.03 2026 तक कुल—160 (एक सौ साठ) दिनों का प्रथम संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :—17/विविध—01—202/2025— 1343/17) पटना, दिनांक :—12 /10 /2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सीविल सर्जन, बांका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदन, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डॉ0 श्वेता गौतम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड—BHS), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदन, बांका E-mail—SG.Shwetagautam@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी०मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/10/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी
—सह—संयुक्त सचिव।